प्रेस विज्ञप्ति
25/07/2026

माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई ने पीएमएलए, 2002 के तहत 22.40 करोड़ रुपये मूल्य की कुर्क संपत्ति को वैध दावेदारों को वापस करने की अनुमति प्रदान की

माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दिनांक 23.07.2026 के आदेश के माध्यम से 22.40 करोड़ रुपये मूल्य की कुर्क अचल संपत्तियों को वास्तविक एवं वैध दावेदारों को बहाल (रिस्टोर) किए जाने का आदेश दिया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुंबई आंचलिक कार्यालय ने विनोद कुमार चतुर्वेदी, मनोज पाठक एवं अन्य के विरुद्ध अपराध की आय के सृजन एवं उसके धन शोधन में संलिप्तता के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत जांच प्रारंभ की थी। पीएमएलए जांच में यह सामने आया कि मैसर्स अशर एग्रो लिमिटेड (जिसका स्वामित्व एवं नियंत्रण विनोद कुमार चतुर्वेदी तथा मनोज पाठक के पास था) ने शेल कंपनियों के नेटवर्क के माध्यम से ऋण की धनराशि का सुनियोजित तरीके से गबन कर बैंकों के एक संघ (कंसोर्टियम) के साथ लगभग 916 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की। कंपनी के प्रवर्तकों ने धनराशि को आगे स्थानांतरित एवं डायवर्ट करने के लिए समूह की अन्य संबद्ध कंपनियों का भी उपयोग किया।

ईडी ने वर्ष 2021 में 22.40 करोड़ रुपये मूल्य की उक्त अचल संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया था, जिसे बाद में माननीय न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा पुष्टि प्रदान की गई। इसके पश्चात धन शोधन के अपराध में उक्त कुर्क संपत्तियों के कॉन्फिसकेशन हेतु माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष अभियोजन शिकायत भी दायर की गई।

बाद में माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी), मुंबई द्वारा मैसर्स अशर इको पावर लिमिटेड के विरुद्ध कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) प्रारंभ की गई। समाधान प्रक्रिया विफल होने पर परिसमापन (लिक्विडेशन) की कार्यवाही आरंभ हुई। इसके उपरांत परिसमापक (लिक्विडेटर) ने माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मुंबई के समक्ष कुर्क संपत्ति की बहाली हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। पीएमएलए के उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, जिसके अंतर्गत अपराध की आय को वास्तविक एवं वैध दावेदारों को लौटाया जाना है, ईडी ने माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष कुर्क संपत्ति को मुक्त किए जाने के संबंध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। ईडी द्वारा प्रस्तुत उक्त निवेदन के आधार पर माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दिनांक 23.07.2026 को कुर्क अचल संपत्तियों को वास्तविक एवं वैध दावेदारों को बहाल किए जाने का आदेश पारित किया।

वास्तविक एवं वैध दावेदारों को संपत्तियों की बहाली, अपराध की आय को प्रभावित व्यक्तियों तक वापस पहुंचाने के ईडी के सतत प्रयासों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।